(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1632–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–7–2003 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 239/2002–03/द्वि0अपील

1. अजबसिंह
2. गिरवरसिंह
3. जसमतसिंह
4. उत्तमसिंह
5. मानसिंह पुत्रगण विकमसिंह
6. कलाबाई पत्नी मांगीलाल
   पुत्री विकमसिंह
7. क्षिप्राबाई पत्नी रामचंदर
   पुत्री विकमसिंह
   समस्त निवासीगण ग्राम उण्डई
   तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर

----- आवेदकगण

विरूद्ध

छतरसिंह पिता देवचन्द
निवासी ग्राम उण्डई तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर

----- अनावेदक

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक –आवेदकगण

:: आदेश ::

(दिनांक 27 जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–7–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक छतरसिंह के द्वारा तहसीलदार शुजालपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सर्वे कमांक 328/1 की मेड़ पर से आने जाने का रास्ता जो विक्रमसिंह आदि के उपयोग करने से मना कर दिया है उसे चालू कराने का निवेदन किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 21–7–99 से अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया। तहसीलदार ने प्रकरण में दिनांक 22–7–99 को उक्त आदेश में संशोधन कर सर्वे नं0 327 की दक्षिणी तथा सर्वे नं0 328 की मध्य मेड से रास्ता खुलवाया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर के समक्ष अपील की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 20–6–01 से अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त ने आदेश दिनांक 07–7–03 के द्वारा निरस्त की। आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में सर्वे कमांक 328 की मेढ़ से चलकर उसकी भूमि पर पहुंचने वाले रास्ते खुलवाने का आवेदन दिया था। तहसीलदार ने सर्वे कमांक 328 के स्थान पर 327 में से रास्ता खोलने का आदेश दिया था। जब तहसीलदार ने पुनः दिनांक 22–7–99 को आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय ने दिनांक 22–7–99 को एकपक्षीय रूप से अपने आदेश दिनांक 21–7–99 में जो परिवर्तन किया है वह विधि विपरीत है। तर्क में यह भी कहा कि तहसील न्यायालय ने अपने आदेश में धारा 32 के अन्तर्गत संशोधन किया है अतः उससे गुण–दोषों पर कोई प्रभाव नही पडता है, न्यायसंगत नहीं है। दिनांक 22–7–99 को पारित आदेश से अनावेदक को दी गई राहत में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तहसील

न्यायालय ने जो रास्ता प्रदान किया है वह प्रकरण में आई साक्ष्य से रूढिगत रासता होना सिद्ध नहीं किया गया है। अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर पारित निर्णय तथा निकाले गये निष्कर्ष में प्रकियात्मक त्रुटि है तथा दोनों अपीलीय न्यायालयों ने इस ओर ध्यान न देकर त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य रूप से तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 21–7–99 के पश्चात संहिता की धारा 32 का प्रयोग करते हुये दिनांक 22–7–99 को संशोधित आदेश पारित करने का प्रश्न है तहसील न्यायालय ने दिनांक 21–7–99 को 40 वर्ष भी अधिक समय से उपयोग किया जाना प्रमाणित रूढिगत मार्ग को खोलने के आदेश दिये थे जिसमें सर्वे कमांक 327 की दक्षिण व 328 की मध्य मेढ़ से रास्ता खोलने के आदेश दिये जबकि रास्ता 328 के दक्षिण से टंकित होना था। जब न्यायालय की जानकारी में यह बात लाई गई तब संहिता की धारा 32 की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार ने उक्त त्रुटि को सुधारने का आदेश दिया। *म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 (इ) न्यायालय की भूल से हुई हानि और अंतर्निहित शक्ति– ''जब किसी न्यायालय की भूल के कारण किसी पक्षकार को हानि पहुंची हो तब उस हानि का परिमार्जन करने के लिए न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह राजस्व प्रकिया के दुरूपयोग को रोकना होगा।''*

स्पष्ट है तहसील न्यायालय ने मात्र आदेश में हुई सर्वे कमांक की टंकण त्रुटि को सुधार करने का आदेश दिया है। अपितु आवेदक अभिभाषक का यह तर्क सही है कि तहसीलदार को संहिता की धारा 32 का प्रयोग करते

हुये संशोधन आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को सुना जाना चाहिए था, परन्तु आवेदकगण के अभिभाषक यह बतलाने में असमर्थ रहे हैं कि तहसील न्यायालय के प्रश्नाधीन संशोधित आदेश से मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है। तहसीलदार ने केवल प्रकियात्मक एवं तकनीकी त्रुटि में सुधार किया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उचित माना है। अतः तहसील न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर